"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अप्रैल 2023—चैत्र 24, शक 1945

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2023

क्रमांक एफ 5-3/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 से 09 दिसम्बर 2022 तक (03 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 तथा 11 दिसम्बर, 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 फरवरी 2023

क्रमांक 2435/1369/21-ब/छ.ग./23.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से, एतद्द्वारा, जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत के लिए अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित व्यक्ति को अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जनोपयोगी सेवा के लिये गठित लोक अदालत के सदस्य के रूप में नामांकित करती है :—

क्रमांक (1)	व्यक्ति का नाम (2)	जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत का नाम (3)
1.	श्री रश्मिकांत मिश्रा	रायपुर

No. F 2435/1369/XXI-B/C.G./23.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 22-B of the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987), the State Government, in consultation with the State Legal Services Authority, hereby, nominate the person shown in column No. (2) of the Schedule as member for the Permanent Lok Adalat constituted for public utility specified in column No. (3) of the Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of person (2)	Name of permanent Lok Adalat for public utility (3)
1.	Shri Rashmikant Mishra	Raipur

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मार्च 2023

क्रमांक 2623/671/21-ब/छ.ग./2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री हिमांशु आर्य, सिविल जज, (प्रवेश स्तर) वर्तमान पदस्थापना, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया का त्याग पत्र दिनांकित 04-02-2023, जिसे स्वीकार किये जाने की अनुशंसा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. 55/दो-3-1/2023/गोपनीय/2023, बिलासपुर दिनांक 16-02-2023 के द्वारा की गई है, को स्वीकार करते हुए, उनके द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांकित 04-02-2023 को एक माह की समाप्ति दिनांक 03-03-2023 से स्वीकार करता है, अर्थात् उक्त पद पर श्री हिमांशु आर्य दिनांक 03-03-2023 तक ही कार्यरत रहेंगे.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 मार्च 2023

क्रमांक 2912/672/21-ब/छ.ग./2023.—राज्य शासन, छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अनुशंसा के पालन में एतद्द्वारा श्री अग्रवाल जोशी, सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा, तत्कालीन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिनांक 12-08-2021 को स्वीकार करते हुए, श्री अग्रवाल जोशी को जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल), तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर के पद से, आवेदन में अंकित दिनांक 24-08-2021 से सेवानिवृत्त (स्वैच्छिक) करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मार्च 2023

क्रमांक एफ 1-02/2020/10-भा.व.से.— राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान प्राप्त उप वन संरक्षक संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान (Super Time Scale (i) : Level 13A in the Pay Matrix Rs. 1,31,100-2,16,600) में पदोन्नति प्रदान करता है :—

1. श्री बी. विवेकानंद रेड्डी (2009)
2. श्री अभिषेक कुमार सिंह (2009) (प्रोफार्मा पदोन्नति)
3. श्री मनिवासगन एस. (2009)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मार्च 2023

क्रमांक एफ 1-05/2020/10-भा.व.से.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरनाथ प्रसाद, भा.व.से. (1998) मुख्य वन संरक्षक को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान (HAG : Level 15 in the Pay Matrix Rs. 1,82,200-2,24,100) में पदोन्नति प्रदान करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मार्च 2023

क्रमांक एफ 1-08/2018/10-भा.व.से.— राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान प्राप्त उप वन संरक्षक संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित पात्रता तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान (Selection Grade : Level 13 in the Pay Matrix Rs. 1,23,100-2,15,900) में नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	प्रवर श्रेणी वेतनमान में पात्रता की तिथि (3)
1.	श्री इमोतेमसु आओ (2010)	01-01-2023
2.	श्रीमती सतोविशा समाजदार (2010)	01-01-2023

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2023

क्रमांक 497/738/2011/10-भा.व.से.— अवर सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/12026/03/2022-IFS-I, दिनांक 10-02-2023 के तारतम्य में राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती प्रणिता पॉल भा.व.से. (CHH : 2001) मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर Deputy Inspector General of Forest (DIGF), Integrated Regional Office (IRO), MoEF&CC, Bengaluru के पद पर 05 वर्षों के लिये कार्यभार ग्रहण करने हेतु केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अधीन भारमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 मार्च 2023

क्रमांक एफ 1-06/2020/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के वन संरक्षक संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान (Super Time Scale (ii) : Level 14 in the Pay Matrix Rs. 1,44,200-2,18,200) में पदोन्नति प्रदान करता है :—

1. श्री एस. जगदीशन (2005)
2. श्री एस. वेंकटाचलम (2005)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च 2023

क्रमांक एफ 1-02/2022/10-भा.व.से.— राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम-1966 के नियम-6(ए) के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-3 में दर्शाई गई तिथि से वरिष्ठ वेतनमान (Senior Time Scale : Level 11 of the Pay Matrix Rs. 67,700-2,08,700) में नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति की तिथि (3)
1.	श्री गणेश यू.आर. (2019)	01-01-2023

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च 2023

क्रमांक 561/680/2022/10-भा.व.से.— अवर सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/12026/03/2022-IFS-I, दिनांक 10-02-2023 के तारतम्य में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रणय मिश्रा, भा.व.से. (2013) उप वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर Assistant Inspector General of Forest (AIGF), Integrated Regional Office (IRO), MoEF&CC, Lucknow के पद पर 04 वर्षों के लिये कार्यभार ग्रहण करने हेतु केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अधीन भारमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 मार्च 2023

क्रमांक/943/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मण्डी क्षेत्र में प्रदेश के बाहर से लायी गई अधिसूचित कृषि उपज (धान को छोड़कर) पर, प्रति 100 रुपये के मूल्य पर, रु. 0.50 (पचास पैसे) की दर से मण्डी शुल्क तथा रु. 0.25 (पच्चीस पैसे) की दर से कृषक कल्याण शुल्क निर्धारित करती है.

यह अधिसूचना, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 मार्च 2023

क्रमांक/943/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/943/रायपुर, दिनांक 03-03-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, the 3rd March 2023

No./943/D-15/116/Part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, fixes the market Fees at the rate of Rs. 0.50 (fifty paise) and Farmer Welfare Fees at the rate of Rs. 0.25 (twenty five paise) on the value of per 100 rupees on notified agriculture produce (exclude paddy) brought from outside the State into the market area.

This notification shall be effective from 1st April 2022 to 31st March, 2023.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202302042100055/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	दर्रामुड़ा प.ह.नं. 07	0.081	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत जोगीडीपा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पंझर प.ह.नं. 12	0.242	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायगढ़ संभाग, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	चपले- बायंग -नंदेली मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2023

प्रकरण क्रमांक 202201042100024/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सूपा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.377 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
391/1	0.006
388/2झ/1	0.106
438/2	0.138
446/4	0.056
288/3	0.073
268/3	0.020
288/4	0.029
388/2ण	0.050
427/1	0.041
445/1	0.008
487/7	0.028
512/2	0.032
444/1	0.028
391/3	0.061
388/2ड़	0.074
438/13	0.012
443/4	0.010
460/2	0.034
291/15	0.053

(1)	(2)
291/3क	0.032
388/2ढ	0.033
427/2	0.045
485/10	0.093
485/11	0.061
438/11	0.105
464/2	0.016
388/2व	0.097
388/2ठ	0.039
446/2	0.030
430/3	0.022
259/1, 266/2	0.012
267/3	0.036
291/3घ	0.027
391/2	0.053
428/2	0.036
487/5	0.070
485/7	0.028
438/14	0.041
486/4	0.049
388/2झ/2	0.104
398/15	0.090
446/1	0.056
340/1	0.040
267/2	0.044
268/6	0.020
302	0.008
288/2	0.016
444/4	0.012
487/6	0.028
461/3	0.106
286/4	0.069
योग 51	2.377

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के अंतर्गत बुनगा माईनर 1 एवं 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2023

प्रकरण क्रमांक 202203042100077/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–रायगढ़
(ख) तहसील–पुसौर
(ग) नगर/ग्राम–नंदेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल–1.644 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
951/4	0.056
940/1	0.020
903/1	0.032
894/2	0.024
892/2	0.132
891	0.168
883/2	0.072
944	0.048
943	0.072
902/2	0.100
711/1	0.020
892/5	0.064
894/1	0.036
885/2	0.120
938	0.040
942/1	0.020
901	0.120
900	0.020
892/4	0.024
882	0.020
885/1	0.052
939	0.052
691/1	0.184
903/2	0.020

	(1)	(2)
	887	0.020
	892/3	0.020
	883/1	0.068
	890	0.020
योग	28	1.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के अंतर्गत सिहा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2023

प्रकरण क्रमांक 202203042100080/अ–82/2021–22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–रायगढ़
(ख) तहसील–पुसौर
(ग) नगर/ग्राम–नंदेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.362 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
928/9	0.065
143/1	0.020
555/2	0.012
559/2, 560/2, 561/2	0.008
952/2	0.016
905/4	0.028
147/4	0.008
928/6	0.008
936/1	0.016
962/1	0.012
149/6	0.088
553/1	0.016
934/2	0.017
958/2	0.004
549, 551/1	0.016
129/2	0.016
928/4	0.008
959/1	0.004
योग 18	0.362

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर, लंकापाली एवं सुलोनी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2023

प्रकरण क्रमांक 202203042100106/अ–82/2021–22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–रायगढ़
(ख) तहसील–पुसौर
(ग) नगर/ग्राम–कोतासुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल–3.111 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73/1	0.081
76	0.052
65/3	0.120
60/3	0.024

(1)	(2)
50/7	0.041
51/1	0.032
157/12	0.220
391/1	0.016
391/2	0.032
385	0.024
383/1	0.020
381/1	0.020
375/8	0.020
327/3	0.092
822/1	0.105
65/1	0.024
73/2	0.060
75	0.092
65/4क	0.020
60/4	0.096
50/6	0.072
155	0.020
157/13	0.020
391/5	0.020
392	0.024
374	0.060
383/2	0.081
375/1	0.125
375/5	0.032
330/3	0.020
822/3	0.020
74/1	0.080
65/2	0.064
65/4ख	0.020
59/2	0.050
50/1	0.056
156/1	0.024
394/4	0.024
391/3	0.028
387	0.028
384/3	0.020
382/2	0.028
375/3	0.036
330/6	0.061
325	0.056
386	0.068
74/2	0.068
375/7	0.020
60/2	0.072
50/5	0.040
51/2	0.068
156/2	0.126
391/4	0.040
391/6	0.020
390	0.020
384/5	0.072
327/2	0.020
381/3	0.105
327/1	0.024
320	0.064
381/2	0.024
योग 62	3.111

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के अंतर्गत सिहा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2023

प्रकरण क्रमांक 202203042100108/अ–82/2021–22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम–कठली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95/3	0.049

	(1)	(2)
	122/7	0.040
योग	02	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत कठली वितरक माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अबिनाश मिश्रा, प्र. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2023

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-रतनपुर
(ग) नगर/ग्राम-उमरमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.737 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
305/4	0.284
304/2	0.141
307	0.348
89/1	0.405
95	0.559
योग 5	1.737

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा-भैंसाझार बैराज परियोजना के डूबा क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2023

प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-खुरदूर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1208/2	0.081
	13	0.040
	193/2	0.049
योग	3	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 27 फरवरी 2023

प्रारूप-II
(नियम 5(1) देखें)

क्रमांक 202109260400007/अ-82/2020-21.—समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर में कुल 0.54 हे. भूमि अपेक्षित है. आवेदक लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग अम्बिकापुर, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (SIA) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारंम्भिक अन्वेषण किया गया था. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) :—

औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार कुटुम्बों के विस्थापित होने कि संभावना नहीं है, विस्थापन निरंक है.

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को प्रभावित कुटुम्बों के पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है. अत: जिला सूरजपुर, तहसील भटगांव के ग्राम खोपा में औद्योगिक प्रयोजन हेतु 0.54 हे. माप के भूखण्ड जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है.

क्र. (1)	सर्वेक्षण संख्या (2)	स्वामित्व का प्रकार (3)	भूमि का प्रकार (4)	अर्जन का क्षेत्र हे. में (5)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (6)	सीमाएं			
						उ. (7)	द. (8)	पू. (9)	प. (10)
1	643	भूमि स्वामी	चंवर	0.09	धीरन आ. धनसाय, लीलामनी, उर्मिला, सुमित्रा पुत्री धनसाय, मु. लालो बेवा धनसाय, दीपन, दारा सिंह, परमानन्द आ. नान्हू, सोनामती पुत्री नान्हू, मु. जगमेन बेवा नान्हू निवासी ग्राम-खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर	खसरा क्र. 645	नदी	खसरा क्र. 644	खसरा क्र. 642
2	645	भूमि स्वामी	चंवर	0.09	देवधारी, श्रीलाल, शिवधारी आ. अमरीकन, मु. महेशिया बेवा अमरीकन, राजाराम, गुलाबसाय, सोमारसाय आ. चौधरी निवासी ग्राम खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर.	खसरा क्र. 649	खसरा क्र. 643	खसरा क्र. 644	खसरा क्र. 642, 641, 640
3	649	भूमि स्वामी	चंवर	0.24	दिलीप, पतांगो आ. सहदेव, महादेव, अमरसाय, मुखदेव आ. मोहरसाय, भूलो, गउली, मानकुवर, मटको पुत्री गजरूप, बुधु, बबलु आ. सुखदेव, सुखमेन पति सुखदेव निवासी ग्राम खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर	खसरा क्र. 650 कच्ची सड़क	खसरा क्र. 645	खसरा क्र. 650	खसरा क्र. 648

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	650	भूमि स्वामी	चंवर	0.12	दिलीप पतंगो आ. सहदेव, महादेव, अमरसाय, मुखदेव आ. मोहरसाय, भूलो, गउली, मानकुंवर, मटको पुत्री गजरूप, बुधु, बबलु, आ. सुखदेव, सुखमेन पति सुखदेव, निवासी ग्राम खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर	कच्ची सड़क	खसरा क्र. 644, 655	खसरा क्र. 655, 651	खसरा क्र. 645, 644, 649, 648
				0.54					

वृक्ष		संरचनाएं	
किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान और उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे.

सूरजपुर, दिनांक 27 फरवरी 2023

प्रारूप–II

(नियम 5(1) देखें)

क्रमांक 202111260400026/अ-82/2021-22.—समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम कसकेला के 0.084 हे. व ग्राम केंवटाली के 0.36 हे. तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर में कुल 0.444 हे. भूमि अपेक्षित है. आवेदक लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग अम्बिकापुर, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (SIA) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारंम्भिक अन्वेषण किया गया था. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) :—

औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार कुटुम्बों के विस्थापित होने कि संभावना नहीं है, विस्थापन निरंक है.

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान को प्रभावित कुटुम्बों के पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है. अत: जिला सूरजपुर, तहसील भटगांव के ग्राम कसकेला व ग्राम केंवटाली में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु पुल निर्माण प्रयोजन हेतु 0.444 हे. माप के भूखण्ड जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है.

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6	भूमि स्वामी	ड़ाड	0.084	बुचुन, मथुरा, नानबाबू, पिता बलजीत, मुरली, सावित्री, मानमति पुत्री बलजीत, नोहरी बेवा बलजीत निवासी ग्राम कसकेला, तहसील भटगांव जिला सूरजपुर	नदी	खसरा क्र. 7	कच्ची सड़क	खसरा क्र. 5/1
2	101	भूमि स्वामी	ड़ाड	0.06	सोनसाय आ. जगत, रामदुलार आ. जगत, नेतलाल, देवमनिया, गुड्डु, मोहरमनिया, पातर पिता प्रेमसाय निवासी ग्राम केंवटाली तहसील भटगांव जिला सूरजपुर	खसरा क्र. 95/4	खसरा क्र. 112	कच्ची सड़क	खसरा क्र. 100, 102, 108, 109
3	112	भूमि स्वामी	खेत	0.30	अमरसाय, दलीपसाय, नान्हूराम आ. भोंदू, मंगना आ. सुन्दर निवासी ग्राम केंवटाली तहसील भटगांव जिला सूरजपुर	खसरा क्र. 101	खसरा क्र. 113, नदी	कच्ची सड़क	खसरा क्र. 109, 111
				0.444					

वृक्ष		संरचनाएं	
किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान और उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे.

इफ्फत आरा,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 15 मार्च 2023

क्रमांक 414/कले./भू.अ./वर्क लोड/2023.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 67 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करता है. यह क्षेत्र, अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा, जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाये :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	जिला का नाम (2)	तहसील (3)	प.ह.नं. (4)	ग्राम का नाम (5)	सेन्सस कोड (6)
1.	महासमुन्द	महासमुन्द	43	खैरा	446250
2.	महासमुन्द	पिथौरा	58	बरतुंगा	446298

No. 414/Coll./L.R./W.L./2023.—In exercise of powers conferred by Sub section (1) of Section 67 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959, (No. 2 of 1959), The District Survey Officer, here by, is pleased to declare initiation of the revenue survey operations in the area specified in the schedule as given below. This area shall be held to be under such survey from the date of notification untill the issue of a notification declaring the operation to be closed :—

SCHEDULE

S. No. (1)	District Name (2)	Tahsil (3)	P.H. No. (4)	Name of Village (5)	Sensus Code (6)
1.	Mahasamund	Mahasamund	43	Khaira	446250
2.	Mahasamund	Pithora	58	Bartunga	446298

महासमुन्द, दिनांक 15 मार्च 2023

क्रमांक 415/कले./भू.अ./वर्क लोड/2023.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 67 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करता है. यह क्षेत्र, अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा, जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाये :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	जिला का नाम (2)	तहसील (3)	प.ह.नं. (4)	ग्राम का नाम (5)	चयनित क्षेत्र (6)
1.	महासमुन्द	पिथौरा	32	आरंगी	शीट नं. 1/2 वर्ष 1971-72 खसरा नम्बर 189/1 से 214/5 तक कुल रकबा 26.892 हे.

No. 415/Coll./L.R./W.L./2023.—In exercise of powers conferred by Sub section (1) of Section 67 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959, (No. 2 of 1959), The District Survey Officer, here by, is pleased to declare initiation of the revenue survey operations in the area specified in the schedule (Abadi Land Of Revenue Village) as given below. This area shall be held to be under such survey from the date of notification untill the issue of a notification declaring the operation to be closed :—

SCHEDULE

S. No. (1)	District Name (2)	Tahsil (3)	P.H. No. (4)	Name of Village (5)	Selected Area (6)
1.	Mahasamund	Pithora	32	Arangi	Sheet No. 1/2 Year 1971-72 Current Khasra No. 189/1 to 214/5 Total Rakba 26.892 Hecter

निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-सरगुजा (अम्बिकापुर) छत्तीसगढ़

अंबिकापुर, दिनांक 14 मार्च 2023

क्रमांक/1720/व.लि./2023.—म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एम. 19-31/1998/1/4 दिनांक 19 मई 1998 में दिये गये निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-03-2023 के अनुसार इस अधिसूचना दिनांक से राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर से संबद्ध नवनिर्मित अस्पताल का नाम "माता राजमोहिनी देवी स्मृति चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग." किया जाता है.

कुंदन कुमार,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल ब्लॉक-A, एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अक्टूबर 2022

क्रमांक/54/04/योजना/बीओसी/2022/122.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 46 दिनांक 31-01-2017 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :—

(क) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना" होगा.

2. योजना के तहत् मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के प्रथम दो बच्चों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.

3. प्रत्येक कक्षा व पाठयक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एकमुश्त वार्षिक देय होगी.

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कक्षा 1 से 5वीं तक	1,000	1,500
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक	1,500	2,000
3.	कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक	2,000	3,000
4.	स्नातक कक्षा जैसे, बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/आई.टी.आई डिप्लोमा आदि	3,000	4,000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे, एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम./स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	5,000	6,000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् होने पर	6,000	8,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी.एच.डी. या शोध कार्य करने पर	8,000	10,000

4. योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ख) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. योजना के लाभ हेतु अंको की बाध्यता नहीं होगी.

2. यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम 01 वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी.

3. आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत् हो.

(ग) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से स्वयं/किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि-शैक्षणिक सत्र प्रारंभ दिनांक से 31 दिसंबर तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत की जावेगी.

3. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज :—

5.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की मूल स्कैन प्रति.

5.2 हितग्राही श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के आधार कार्ड मूल स्कैन प्रति.

5.3 निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति.
(अधिसूचित प्रपत्र में जिसमें जारी प्रमाण पत्र सरल क्रमांक एवं दिनांक अंकित हो एवं वर्तमान अध्ययनरत वर्ष में प्रवेश लिए जाने की पुष्ठि हो.)

5.4 विगत कक्षा उत्तीर्ण किए जाने की अंक सूची की मूल स्कैन प्रति.

5.5 बैंक पासबुक की मूल स्कैन प्रति.

टीप :— ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.

(घ) **स्वीकृति का अधिकार :—**योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक को होगा.

(ङ) **भुगतान की प्रक्रिया :—** योजना के स्वीकृति पश्चात् हितग्राही अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों के खाते में योजनांतर्गत प्रावधानित राशि आरटीजीएस/एनईएफटी/डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी.

(च) **विसंगति का निराकरण :—** इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा.

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्रमांक/60/01/04/योजना/बीओसी/2022/123.—छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व जारी श्रम विभागीय पत्र क्रमांक 44/अ.मु.स./श्रम/2015(S)/87 दिनांक 08-06-2015 एवं अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 06-12-2012 (स्वावलंबन पेंशन योजना) द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित "अटल पेंशन योजना" को वर्तमान में संचालित "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना" के संचालन के परिपालन में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 16वीं बैठक दिनांक 04-08-2022 में लिए गए निर्णय के परिपालन में "अटल पेंशन योजना" इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 नवम्बर 2022

क्रमांक/65/04/योजना/बीओसी/2022/124.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना "मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र" बनाती है :—

(क) **योजना का नाम :—** योजना का नाम "मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र" होगा.

(ख) **योजना का उद्देश्य :—** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा PIL क्र. 916/2020 के आदेश के परिपालन में छ.ग. राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 राजपत्र में प्रकाशित किया गया है. जिसके बिन्दु क्र. 11 एवं बिन्दु क्र. 12 के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र (Labour Resource Centres) के माध्यम से जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों को जागरूक/साक्षर करना तथा उनकी सहायता करना जिससे कि उनके हितों का संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा वे शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके.

(ग) **योजना का प्रावधान :—**

1. श्रमिकों की सहायता के लिए विकासखण्ड व जिला स्तर पर श्रम संसाधन केन्द्र का संचालन किया जावेगा.

2. मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र का जिला स्तर पर संचालन श्रम विभागीय कार्यालय में तथा जनपद स्तर पर जनपद पंचायत कार्यालय अथवा आवश्यकतानुसार निजी भवन में किया जावेगा.

3. मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र में एक कार्यालय सहायक (सहायक ग्रेड-2/3) एवं एक भृत्य आवश्यकतानुसार मण्डल द्वारा अनुबंधित संस्थान के माध्यम से रखे जावेंगे.

4. मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन/निरीक्षण हेतु शासन स्तर पर समिति गठित की जावेगी. उक्त समिति द्वारा श्रमिक सहायता केन्द्र संचालन के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण उपरांत केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित करेगी.

(घ) **योजना में देय हितलाभ :—** मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से श्रमिक पंजीयन, मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं श्रमिकों को देय अन्य लाभ के परिपेक्ष्य में त्वरित सहायता प्रदाय करना.

(ङ) **योजना हेतु पात्रता :—** योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गों में कार्यरत श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा.

(च) **मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र संचालन हेतु संबंधित कार्यालय का दायित्व :—**

1. श्रम संसाधन केन्द्र द्वारा, प्रवासी श्रमिकों को विधिक, वित्तीय एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक/साक्षर करना.

2. श्रम संसाधन केन्द्र (Labour Resource Centres) को प्राप्त श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को हेल्पलाईन के पोर्टल में दर्ज किया जाकर निराकरण किया जायेगा.

3. श्रम संसाधन केन्द्र द्वारा हेल्पलाईन सेंटर के समन्वय से सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रक्रिया तैयार कर शिकायतों का निवारण करने में सहायक होंगे.

4. श्रम संसाधन केन्द्र के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर श्रम मित्रों/श्रम संयोजकों का कैडर तैयार किया जावेगा, जो कि श्रम उद्यमी के रूप में कार्य करेंगे.

5. जिला श्रम कार्यालय के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक/श्रम कल्याण निरीक्षक/कल्याण अधिकारी/कल्याण निरीक्षक द्वारा उक्त केन्द्रों का सतत् निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे.

(छ) **भुगतान की प्रक्रिया :—** श्रम संसाधन केन्द्र की अधोसंरचना (बिल्डिंग, मानव संसाधन, मानव संसाधन के प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फर्नीचर, वेब पोर्टल, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, स्टेशनरी एवं डाक टिकिट इत्यादि) पर होने वाला समस्त व्यय छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा शासन के निर्धारित दर पर वहन किया जावेगा.

(झ) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

(ञ) **योजना की प्रभावशीलता :—** यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 नवम्बर 2022

क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2022/125.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 02-02-2017 एवं अधिसूचना क्रमांक 65 दिनांक 28-05-2018 के कण्डिका (अ) के उपबिन्दु (ii) (6) डी-फार्मेसी के पश्चात् निम्नांकित अतः स्थापित किया जाता है :—

मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान (ii) (6) —** पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा कोर्स (यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी. (शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 नवम्बर 2022

क्रमांक/64/04/योजना/बीओसी/2022/126.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना "मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र" बनाती है :—

(क) **योजना का नाम :—** योजना का नाम "मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र" होगा.

(ख) **योजना का उद्देश्य :—** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा PIL क्र. 916/2020 में राज्य में श्रमिक सहायता केन्द्र (Labour Helpline Centre) की स्थापना करने के हेतु निर्देशित किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्यों को State Helpline Desk/Call Centre स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति दिनांक 19 जुलाई 2021 अंतर्गत श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण, पंजीयन प्रक्रिया/योजनाओं के आवेदन की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के फीडबैक लेने इत्यादि संबंधी कार्य संपादित किये जाने हेतु हेल्पलाईन की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके उद्देश्य के पूर्ति हेतु श्रमिक सहायता केन्द्र (Labour Helpline Centre) की स्थापना किया जाना है.

(ग) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर एक श्रमिक सहायता केन्द्र स्थापित किया जावेगा.

2. इस योजना हेतु सचिव छ.ग. शासन, श्रम विभाग/श्रमायुक्त कार्यालय स्तर पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित संस्थान द्वारा श्रमिक सहायता केन्द्र का संपूर्ण संचालन किया जावेगा.

3. श्रमिक सहायता केन्द्र के संचालन हेतु चयनित संस्थान एवं शासन के मध्य किए गए अनुबंध/कार्यादेश में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अनुरूप श्रमिक सहायता केन्द्र का संपूर्ण संचालन किया जावेगा.

4. श्रमिक सहायता केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन/निरीक्षण हेतु शासन स्तर पर समिति गठित की जावेगी. उक्त समिति द्वारा श्रमिक सहायता केन्द्र संचालन के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण उपरांत केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित करेगी.

5. वेब पोर्टल, मोबाईल एप, फेसबुक पेज, ई-मेल, ट्वीटर आदि के माध्यम से श्रमिक अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज कर सकेंगे.

6. टोल फ्री नंबर पर फोन कॉल, मिल कॉल, एसएमएस, वॉईस मेसेज, विडियो मेसेज, वॉटसअप के माध्यम से श्रमिक अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज कर सकेंगे.

(घ) **योजना में देय हितलाभ :—** श्रमिक सहायता केन्द्र के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा समस्याओं का निराकरण, पंजीयन प्रक्रिया, योजना के आवेदन की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के संबंध में जानकारी व समाधान प्राप्त कर सकेंगे.

(ङ) **योजना हेतु पात्रता :—** योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गों में कार्यरत् श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा.

(च) **श्रमिक सहायता केन्द्र संचालन हेतु संबंधित संस्था का दायित्व :—**

1. श्रमिक सहायता केन्द्र से संबंधित समस्त कार्यों के जानकारी के संधारण हेतु वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें श्रमिकों से इनकमिंग एवं आउटगोइंग के माध्यम से प्राप्त सूचना, मूलभूत जानकारी, शिकायत, सुझाव इत्यादि की जानकारी ऑनाईन इन्द्राज की जावेगी.

2. हेल्प लाईन नंबर में इनकमिंग व आउटगोइंग की सुविधा होगी.

3. हिन्दी/छत्तीसगढ़ी भाषा में कॉल शिकायत प्राप्त की जावेगी.

4. बाहर जाने वाले कॉल (आउट बाउंड कॉल) निम्न के लिए उपयोग किया जावेगा.
   4.1 वार्षिक आधार पर मजदूरों के स्वास्थ्य, वैवाहिक स्थिति, नौकरी, मजदूरी एवं आवश्यकतानुसार अद्यतन जानकारी एकत्र करना.

   4.2 शिकायत दर्ज कराने वाले मजदूरों से संपर्क करना.

5. आने वाले कॉल (इनबाउंड कॉल) निम्न के लिए उपयोग किया जाना है :—
   5.1 श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त करना.

   5.2 विभाग के साथ श्रमिकों का पंजीकरण, योजनाओं एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराना.

6. श्रमिक सहायता केन्द्र की अद्योसंरचना (बिल्डिंग, मानव संसाधन, मानव संसाधन के प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फर्नीचर, वेब पोर्टल, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, स्टेशनरी एवं डाक टिकिट इत्यादि) पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित चयनित संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा.

7. चयनित संस्थान द्वारा मासिक बिल का देयक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में नोडल अधिकारी के सत्यापन रिपोर्ट के साथ श्रमायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा.

(छ) **भुगतान की प्रक्रिया :—**योजनांतर्गत चयनित संस्थान का अनुबंध/कार्यादेश में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप श्रमिक सहायता केन्द्र के अधोसंरचना एवं अन्य व्यय हेतु प्रथम बार एकमुश्त राशि दी जावेगी तथा इनकमिंग/आउटगोइंग कॉल हेतु प्रति मिनट निर्धारित दर पर प्रस्तुत मासिक देयक का नोडल अधिकारी के सत्यापन उपरांत प्रति माह श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा.

(झ) **विसंगति का निराकरण :—**योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

(ञ) **योजना की प्रभावशीलता :—** यह योजना दिनांक 09-09-2022 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी.

सविता मिश्रा,
सचिव.